

प्रेषक,

अधिशाली निदेशक

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सचिवालय परिसर, देहरादून।

सेवा में,

अपर सचिव,

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून : दिनांक ०८ मई, 2020

विषय- कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के दृष्टिगत धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या-45/ डी0डी0एम0ओ0-2020-21 दिनांक 06 मई, 2020 संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

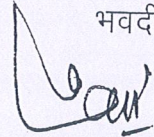
1- उक्त पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि मद से प्रथम किस्त के रूप में रु. 5.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी और उक्त धनराशि को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति हेतु व्यय किये जाना है।

2- उक्त के अतिरिक्त कोरोना संक्रमण कि रोकथाम एवं बचाव कार्य हेतु अधिग्रहण किये गये वाहनों में ईंधन आपूर्ति, अस्थायी रूप से तैयार किये गये कोरोनाईन शिवर प्रचार-प्रसार की गयी सामग्री आदि की व्यवस्थाओं हेतु बाजार से क्रय किये गये सामग्री के बीजकों का भुगतान हेतु रु. 3.00 करोड़ धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा किये गये अपेक्षानुसार शासन से रु. 3.00 करोड़ की धनराशि करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

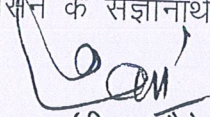
भवदीय,



(पीयूष रौतेला)

अधिशाली निदेशक।

प्रतिलिपि: सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित।



(पीयूष रौतेला)

अधिशाली निदेशक।

व्यर

प्रेषक,

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1,

संख्या- 45 / डी0डी0एम0ओ0-2020-21

दिनांक 06 मई 2020

विषय:- कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दृष्टिगत धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद देहरादून हेतु सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन सचिवालय प्रशासन (लेखा) मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-6 के शासनादेश सं0 932/XXXI-17/27/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 एवं संशोधन पत्र सं0 935/XXXI-17/27/2020 दिनांक 28 मार्च 2020 के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत सन्निर्माण श्रमिकों/व्यक्तियों के खाद्यान एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कराये जाने हेतु जनपद देहरादून को मु0 3,00,00,000-00 (तीन करोड़ मात्र) की धनराशि आवंटित की गई थी जिसका व्यय शासनादेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन किया जा रहा है। शासनादेश के अनुसार असहाय एवं गरीब व्यक्तियों के लिये के खाद्य वस्तुओं को बजार से क़य कर उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त मद में वर्तमान तक कुल 1,53,00,000-00 (एक करोड़ तिरप्पन लाख) रू0 की धनराशि विभिन्न व्यय की जा चुकी है तथा शेष 1,47,00,000-00 (एक करोड़ सैंतालिस लाख) की धनराशि अवशेष है।

2) सचिव प्रभारी उत्तराखण्ड शासन आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 के पत्र सं0 284/XVIII-B-1/2020-12(4)/2013TC दिनांक 05 अप्रैल 2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि मद से प्रथम किस्त के रूप में इस जनपद को मु0 5,00,00,000-00 (पाँच करोड़ मात्र) रू0 की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु दिशा निर्देश दिनांक 08.04.2015 तथा संशोधित मानक दि0 14.03.2020 एवं दि0 28.03.2020 का कठार्ड से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि उक्त स्वीकृत धनराशि दैवीय आपदा से हुई परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण कार्यों एवं कोविड-19 (कोरोना वायरस) की रोकथाम के लिय संलग्नक भारत सरकार के पत्र सं0 33-04/2020 दिनांक 14.03.2020 में दिये गये दिशा निर्देश जिसमें की अस्थाई रूप के तैयार किये गये कोरेन्टाईन कैम्प, भोजन, कपडे, चिकित्सा सुविधाओं आदि में व्यय करने का उल्लेख किया गया है।?

उपरोक्त के अतिरिक्त कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव कार्य हेतु अन्य कार्य (जैसे अधिग्रहण किये गये वाहनो के ईधन आपूर्ति, अस्थाई रूप से तैयार किये गये कोरेन्टाईन शिवर प्रचार प्रसार की गयी सामग्री) आदि की व्यवस्थाओं के लिए बजार से क़य किये गये सामग्री के बिलों का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त मु0 3,00,00,000-00 (तीन करोड़ रू0 मात्र) की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि वाहनो के लिए ईधन आदि एवं अन्य कोविड-19 के कार्य हेतु मु0 3,00,00,000-00 (तीन करोड़ रू0 मात्र) की धनराशि आवंटित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(डॉ अशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
देहरादून।